	(ख) जिला न्यायाधीश को साक्ष्य का पूरा रिकार्ड या रिकार्ड करवाने की आवश्यकता नहीं है लेकिन वह मुकदमे पर निर्णय के लिए अपने विचार में पर्याप्त साक्ष्य का ज्ञापन तैयार कर सकता है । (ग) जिला न्यायाधीश कार्यवाही के किसी भी स्तर पर याचिकादाता को किसी प्रत्यर्थी द्वारा किए गए सभी खर्च अथवा होने वाले खर्च के भुगतान की प्रतिभूति अथवा आगे की प्रतिभूति का आदेश दे सकता है; और (घ) जिला न्यायाधीश किसी मुद्दे पर निर्णय के उद्देश्य के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने, ऐसे साक्ष्य प्राप्त करने, मौखिक अथवा दस्तावेजी जैसा वह आवश्यक समझे, के लिए ही मात्र बाध्य होगा । (2) लागत की अदायगी के किसी आदेश, जिला न्यायाधीश द्वारा पारित लागतों के लिए किसी प्रतिभूति बांड की वसूली के कोई आदेश को इसके लिए नियत तरीकों से निष्पादित करना होगा ।	
	98. (1) यदि किसी याचिका द्वारा किसी व्यक्ति के संबंध में जिसका चुनाव के सम्बन्ध में सवाल उठाया जाता है तो जिला न्यायाधीश अपने आवश्यकता के अनुसार जाँच करने के पश्चात उनके निर्वाचन को वैध पाता हो तो लागत सहित उस व्यक्ति के खिलाफ याचिका को खारिज़ कर देगा । (2) यदि जिला न्यायाधीश यह पाता है कि किसी व्यक्ति का निर्वाचन अवैध था तो वहः– (क) अनियत रिक्ति होने की घोषणा करना होगा; या (ख) दूसरे उम्मीदवार को विधिवत निर्वाचित घोषित करना, जितना भी समय लगा, मामलों के विशेष परिस्थिति में, जो अत्यधिक उचित हो, तथा दूसरे मामले में जिला न्यायाधीश अपने विवेक से खर्च दिला सकेगा । (3) जिला न्यायाधीश द्वारा अनियत रिक्ति की घोषणा करने की स्थिति में चुनाव आयोग को रिक्ति को भरने की कार्यवाही करने का निर्देश देना होगा ।	
	99. (1) धारा 99 में कोई भी तथ्य न होने पर भी यदि जिला न्यायाधीश का मत है कि किसी निर्वाचन याचिका की सुनवाई के दौरान प्रश्नगत निर्वाचन कार्यवाही पर हुई धांधली का साक्ष्य द्वारा खुलासा करने पर सम्पूर्ण निर्वाचन कार्यवाही को अलग कर वह निर्वाचित घोषित प्रत्येक उम्मीदवार जिन्हें पहले इस मुकदमा में पार्टी नहीं बनाया गया है, को इस संबंध में प्रतिबंधित आदेश पारित करेगा तथा इसका नोटिस देगा और उस उम्मीदवार को कारण बताएगा कि क्यों यह प्रतिबंधित आदेश को अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता ।	